(ग) यदि हां, तो सरकार किन-किन संस्थानों को यह कार्य सौंपने का विचार रखती है और यदि इन परीक्षणों के परिणाम आशाजनक हों तो सरकार इस चिकित्सा पद्धति के संवर्द्धन तथा आवश्यक आयुर्वेदिक दवाओं की उपलब्धता और साथ ही उनके निर्माण के लिए आवश्यक वनस्पतीय तत्वों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में ब्राहमी का इस्तेमाल करके किए गए क्लिनिकल अध्ययनों और केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा इस के कुछ सक्रिय घटकों का इस्तेमाल करके पशुओं पर किए गए प्रयोगों से पढ़ने और याद रखने पर सामान्य लाभदायक प्रभाव पड़ने का पता चला है ।

आयुर्वेदिक व्यवसाय द्वारा यादाश्त में सुधार करने के लिए शताब्दियों से ब्राहमी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है ।

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से असली आयुर्वेदिक औषधें तैयार करने और उपलब्ध करने हेतु मोहान, उत्तर प्रदेश में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की थी और उसकी ऐसे औषधि पादपों, जिनकी अधिक मांग है, की खेती करने और विकास करने की एक योजना भी है ।

दिल्ली के अस्पतालों में "कैट-स्कैन" की सुविधा

1192. **श्री गया सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में "कैट-स्कैन" की सुविधाओं का अभाव है और जिन अस्पतालों में "कैट-स्कैन" की सुविधा उपलब्ध है वहां पूरे सर्जन नहीं हैं तथा जिन अस्पतालों में सर्जन हैं वहां मशीनें खराब पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों की चिकित्सा

1193. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश भर से चिकित्सा हेतु आए रोगियों में बिहार तथा उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों की संख्या अधिक होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा हेतु संस्थान में भर्ती न मिलने पर उन्हें पेड़ों अथवा खुले आसमान के नीचे ठहरने को विवश होना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय संस्थान के वार्डों, विशेषकर हृदय रोग और कैंसर जैसी घातक बीमारियों वाले रोगियों के वार्डों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है ;

(घ) क्या उनका मंत्रालय इस संस्थान में रोगियों की चिकित्सा की अवधि के दौरान उनके ठहरने हेतु कोई धर्मार्थ निवास-स्थान अर्थात् धर्मशाला बनवाने

का विचार रखता है क्योंकि मौजूदा धर्मशाला रोगियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में बहुत छोटी पड़ती है; और

(ङ) क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पटना में एक पूर्ण सुविधायुक्त हृदय संस्थान खोलने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) बिहार और उत्तर प्रदेश के रोगियों का कुल रोगियों की संख्या में बड़ा हिस्सा है। जिन रोगियों को भर्ती नहीं किया जा सकता है उन्हें बीमारी की गंभीरता के आधार पर डाक्टर से मिलने के लिए आने की तारीख दी जाती है।

(ग) जगह की अपर्याप्तता के कारण अस्पताल के मुख्य परिसर को बढ़ाया नहीं जा सकता है परन्तु संस्थान ने कार्डियो-थोरेसिस तंत्रिका विज्ञान तथा कैंसर के लिए अतिरिक्त सुविधाओं वाले विशिष्ट केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई है।

(घ) संस्थान का दूसरा विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी का पद

1194. श्री **कामेश्वर पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 22 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 283 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के अधिकारियों ने अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिये आरक्षित वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी के पद को किस नियम के अन्तर्गत अनारक्षित घोषित करके नियुक्ति हेतु विज्ञापित किया था ;

(ख) क्या संस्थान के अधिकारियों द्वारा लिया गया उक्त निर्णय नियम सम्मत था, यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या संस्थान में सभी आरक्षित पदों को भर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घटोवर(: क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली जो एक स्वायत्त निकाय है, ने ऐसे मामलों में आरक्षण नियमों को लागू करने के संबंध में उनके पास उपलब्ध निर्णय एवं व्याख्या के आधार पर सामान्य श्रेणी में वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी के पद में एकमात्र रिक्त पद का विज्ञापन निकाला था।

(ग) और (घ) अधिकांश आरक्षित पदों को भरा जा चुका है। 31-3-94 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समूह "क" में रिक्त आरक्षित पदों का ब्यौरा

		पद
1	लेक्चरर	5
2	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	1

समूह "ख" में रिक्त आरक्षित पद

1	उप-संपादक (अंग्रेजी)	1

समूह "ग" में रिक्त आरक्षित पद

1	तकनीकी सहायक (उत्पादन प्रोसेसिंग)	1
2	अनुसंधान सहायक (एम० सी०एच०ए०)	1
3	कम्प्यूटर	1
4	फार्मासिस्ट	1

समूह "घ" में रिक्त आरक्षित पद

कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है